अध्याय- IV

लेन-देन की लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों के लेन-देन की लेखापरीक्षा में स्वायत्त निकायों के साथ-साथ उनके क्षेत्र निर्माण में संसाधानों के अप्रभावकारी तथा नियमितता, औचित्य और आर्थिक मानदण्डों के अनुपालन में विफलताओं के अनेक उदाहरण प्रकाश में आये। इन्हें विस्तृत विषय परक शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्त्ती कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

4.1 कपटपूर्ण निकासी/दुर्विनियोग/हानि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कल्याण विभाग

4.1.1 अवसूलनीय अग्रिम

निकासी एवं संवितरण पदाधिकारियों (नि.सं.प.) द्वारा प्रयत्नशील नहीं रहने के कारण 25.90 लाख रुपये का अवसूलनीय अग्रिम

जिला नजारत, (जि.न.) पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा (सितम्बर 2002) जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.प.), देवघर (फरवरी 2003) एवं जि.क.प. जमशेदपुर (नवम्बर 2003) के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निकासी एवं संवितरण पदाधिकारियों (नि.सं.प.)[1] द्वारा 1.05 करोड़ रुपये कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों जैसे शपथ पत्र, वस्तुओं की खरीद, लेखन सामग्री, वाहन मरम्मत, ईंधन इत्यादि के लिए वर्ष 1991 से 2002 के दौरान अग्रिम दिये गये। ये अग्रिम बहुत सालों से चले आ रहे थे लेकिन नि.सं.प. द्वारा इन अग्रिमों की वसूली या समायोजन के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी उद्घाटित हुआ कि नि. एवं सं.पदा. (जि.न.) चाईबासा द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को दिये गये 21.79 लाख रुपये का अग्रिम अवूसलनीय हो गया था जैसा कि नजारत उप समहार्त्ता (जि.न.) चाईबासा द्वारा सुनिश्चित किया गया। जि.क.का. जमशेदपुर एवं जि.क.का. देवघर में नौ कर्मचारियों के विरूद्ध 0.38 लाख रुपये का अग्रिम बकाया था, जिनकी या तो मृत्यु हो गयी या सेवा निवृत्त हो गये थे। इसी तरह जि.क.का. देवघर एवं जि.क.का. जमशेदपुर में 19 व्यक्तियों के विरूद्ध 3.73 लाख रुपये का अग्रिम बकाया था जिसका स्थानांतरण अन्यत्र हो गया था। नि. एवं सं. प. द्वारा वर्ष 1991 से पड़े हुए 1.05 करोड़ रुपये के असमायोजित अग्रिमों को या तो

[1] जि.ना. चाईबासा- 51.87 लाख रुपये, जि.क.प. जमशेदपुर - 48.85 लाख रुपये एवं जि.क.प., देवघर - 4.01 लाख रुपये।

वसूली हेतु या समायोजन हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया गया जिसमें से 25.90 लाख रुपये पूरी तरह अवसूलनीय हो गया।

आकस्मिकता व्यय पर असंवितरित रोकड़ से राशि का व्यय और इसका समोयाजन नहीं किया जाना बजटीय अनुशासन का उल्लंघन था इसके अतिरिक्त यह पूरी तरह से अनियमित ओर अप्राधिकृत था। इस प्रकार की हानियों के लिए उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाना चाहिए एवं राशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

लेखा परीक्षा में इसे बताये जाने पर जि.न., चाईबासा ने कहा कि अग्रिमों की वसूली हेतु प्रयत्न किये जा रहे थे तथा बाद में ऐसे मामलों की एक सूची सौंपी जिसमें वसूली असंभव लगती थी। तथापि, 2.63 लाख रुपये की वूसली लेखापरीक्षा के अनुरोध (सितम्बर 2004) पर की गयी। जि.क.प. देवघर एवं जि.क.प., जमशेदपुर ने कहा कि लम्बित अग्रिमों की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

सरकार ने कहा (मार्च 2005) कि संबंधित नि.एवं सं.प. को अग्रिमों की वसूली/ समायोजन हेतु आदेश दिया गया है।

4.2 अधिक भुगतान/ अपव्ययी निरर्थक व्यय

पथ निर्माण विभाग

4.2.1 अपव्ययी व्यय

पुल के प्रस्तावित स्थल में अविवेकपूर्ण बदलाव के निर्णय के फलस्वरूप कार्य का अपसर्जन तथा 1.92 करोड़ रुपये का अपव्ययी व्यय

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), बिहार ने पात्रो नदी पर देवघर, मधुपुर सड़क 26 किलोमीटर (मोहनपुर) 1.48 करोड़ रुपये की लागत से आर.सी.सी. अवगाहन क्षम पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (अक्टुबर 2002)। प.नि.वि. ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (बि.रा.पु.नि.नि.) को पुल निर्माण के लिए मनोनीत किया (अक्टूवर 2000) तथा का.अ.प.नि.वि. देवघर को नि. एवं सं. प. बनाया गया। तथापि, कार्य का प्रारम्भ तथा निधि की मुक्ति से पहले ही, प.नि.वि., मंत्री (नवम्बर 2000) ने एक दूसरे स्थल, सप्तारघाट पर पुल की नींव रखी। इस फैसले के विरूद्ध, माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी (जनवरी 2001) । माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को सत्यापित करने का आदेश दिया (जनवरी 2001) कि यदि स्थल में कोई बदलाव किया गया हो तथा दो सप्ताह के अन्दर सुधारात्मक कदम लेने के लिए कहा।

प.नि.वि. देवघर के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2004) से उद्घाटित हुआ कि विभाग ने मार्च 2001 एवं जुलाई 2002 के मध्य सप्तारघाट पर पुल के निर्माण हेतु बिना

तकनीकी स्वीकृति के 2.58 करोड़ रुपये विमुक्त कर दिया यद्यपि इस स्थल पर कोई पहुँच पथ नहीं था। जब सप्तारघाट पुल का कार्य चालू था न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण विभाग के विरूद्ध एक अवमानना ममला दायर किया गया (सितम्बर 2001) विभाग द्वारा जवाब में मोहनपुर पर पुल बनाने के लिए एक प्रतिकारक हलफनामा दायर किया गया (अप्रैल 2002) ।इस समय तक बि.रा.पु.नि. नि. ने 1.92 करोड़ रुपये की लागत से 21 पाया, 1 जोड़, 21 छत स्लैब का निर्माण कर लिया था (दिसम्बर 2002)। मोहनपुर पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प.नि.वि. द्वारा दिये जाने के बाद कार्य अपसर्जित हो गया और नये स्थल पर कार्य चल रहा था (जनवरी 2004) । इस प्रकार सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद अन्य स्थल पर पुल के निर्माण का विभाग के इस अविवेकपूर्ण कार्रवाई के कारण कार्य अपसर्जित हो गया तथा उस पर किया गया 1.92 करोड़ रुपये का व्यय अपव्ययी साबित हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्माता अभिकरण को 66 लाख रुपये का दिया गया अग्रिम भी सरकार को नहीं लौटाया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून, नवम्बर 2004 एवं फवरी 2005), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2005)।

गृह विभाग

4.2.2 अपसर्जित एवं निष्क्रिय बैरेकों पर निष्फल व्यय

बिना तकनीकी स्वीकृति एवं उचित योजना के कार्य आरम्भ करने के कारण साकची कारागार और खूँटी उप कारागार के अपसर्जित एवं निष्क्रिय बैरकों पर 1.70 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

साकची कारागार, जमशेदपुर

गृह (विशेष) विभाग बिहार सरकार द्वारा साकची कारागार के पार्श्व में पुरूष कैदियों के लिए तीन सेट बैरक के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (नवम्बर 1998 तथा मार्च 1999) 60 लाख रुपये के लिए दी गयी। भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी। कार्यपालक अभियंता, (का.अ.) भवन निर्माण विभाग जमशेदपुर द्वारा 40.14 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि पर दो बैरकों के लिए निविदा आमंत्रित की गयी। मुख्य अभियंता (मु.अ.) ने जुलाई 2001 तक कार्य पूरा करने हेतु, जो जुलाई 2002 तक बढ़ गया, प्राक्कलित राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाते हुए 44.16 लाख रुपये के लिए दो अभिकरणों को कार्यादेश दिया (अक्टूबर 1999)। अभिकरणों को बैरकों के निर्माण पर सितम्बर 2002 तक 51.94 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था।

संवीक्षा (अगस्त 2003) से उद्घाटित हुआ कि कार्य के प्रमुख घटकों जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युतीकरण तथा चारदीवारी को प्राक्कलन एवं निविदा से बाहर रखा गया। इसलिए पुनरीक्षित प्राक्कलन (जून 2001 तथा जून 2003) बैरकों के लिए किया गया

जिसमें जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युतीकरण तथ चारदीवारी शामिल था जिसे गृह (विशेष) विभाग द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया (अक्टूबर 2000) कि बैरक के लिए स्थल ठीक नहीं था क्योंकि जेल नियमावली के अनुसार चारदीवारी जो इसके चारों तरफ होगी, का निर्माण नहीं किया जा सकता फलस्वरूप निष्क्रिय संरचना हुई। अभिलेखों से आगे उद्घाटित हुआ कि बैरकों के निर्माण स्थल पर प्रस्ताव का.अ. द्वारा किया गया (अप्रैल 1999) तथा जेल अधीक्षक जमशेदपुर एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, के द्वारा स्वीकृति (मई 1999) दी गयी। गृह (विशेष) विभाग ने महानिरीक्षक (कारा) और उ.आ. को अधिकारियों पर जो गलत स्थल चयन में अंतर्ग्रस्त थे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

इस बीच भ.नि.वि. झारखण्ड ने एक नये कारागार का निर्माण घाघीडीह में 13.45 करोड़ रुपये की लगात से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये जेल के स्थल को बदलने का निर्णय लिया (जुलाई 2003) यह बैरक निर्माण पर 51.94 लाख रुपये का पूरी तरह व्यय निष्फल साबित हुआ। इस सब को परिहारित किया जा सकता था यदि विभाग द्वारा जेल की नियमावली की शर्त्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति पूरे कार्य के लिए बैरक के चारों तरफ चारदीवारी सहित दे दी होती तथा नियमावली के अनुसार तकनीकी स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ होना चाहिए था।

का.अ. ने कहा (अगस्त 2003) कि बैरकों का निर्माण उच्चतर अधिकारियों के निदेश पर हुआ था। कार्य का क्रियान्वयन बिना तकनीकी स्वीकृति एवं उचित योजना के गलत स्थल पर आवश्यक घटकों को छोड़ कर करने के कारण निष्क्रिय बैरकों का निर्माण हुआ तथा अभीष्ट लक्ष्य अधूरा रहा।

तदन्तर, म.नि. (कारा) से सूचना एकत्र करने पर (जून 2004) उद्घाटित हुआ कि लेखापरीक्षा में इसके सम्बन्ध में पूछताछ के बाद कारा अधीक्षक को स्मार देने के अतिरिक्त माई 2004 तक न तो उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया और न ही कोई कार्रवाई प्रारम्भ की गयी (जून 2004)। इस प्रकार, दो वर्षों में प्रभावकारी निष्पादन नहीं होने के कारण उत्तरदायित्व निर्धारण का गृह विभाग का आदेश महज औपचारिकता ही रह गया।

मामला सरकार को जून 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2005)।

उप कारागार, खूँटी

भवन निर्माण विभाग बिहार द्वारा उप कारागार खूँटी में चारदीवारी के साथ कैदियों के तीन सेट बैरक निर्माण का 58.37 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 1997) तथा भ.नि.वि. झारखण्ड द्वारा पुनरीक्षित कर (मई 2002) 1.34 करोड़ रुपये किया गया। तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई यद्यपि मु.अ., भ.नि. वि. ने (फरवरी 1997) एक प्राक्कलन 89.30 लाख रुपये (भवन और चारदीवारी) पर बिना

परिरूप के अनुमोदन के अनुमोदित कर दिया। इस अधूरे प्राक्कलन पर का.अ. भवन निर्माण प्रमण्डल न.1, राँची ने 71.25 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की (फरवरी 1997) तथा मु.अ. ने कार्य निष्पादन की समय सीमा फरवरी 1999 करते हुए प्राक्कलन पर 10 प्रतिशत अधिक कर एक अभिकरण को 78.37 लाख रुपये का कार्यादेश दिया। जबकि परिरूप अधूरा था अभिकरण द्वारा फरवरी 1999 तक 34.38 लाख रुपये का कार्य निष्पादित कर दिया गया तथा आगे कार्य को परिरूप के अभाव में स्थगित कर दिया। अभिकरण के आग्रह पर मु.अ. ने कार्य बंद करवा दिया (सितम्बर 1999) शेष कार्य के लिए फिर से निवदा आमंत्रित की गयी और एक अभिकरण को (सितम्बर 1999) 84.38 लाख रुपये पर कार्यादेश दिया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जून 2004) कि अभिकरण ने 83.20 लाख रुपये का कार्य निष्पादित किया तथा भुगतान प्राप्ति (जनवरी 2003) के बाद कार्य स्थगित कर दिया क्योंकि चारदीवारी के ऊपर दो उच्चताप के विद्युत् तार लटकने के कारण बाधा थी। प्राक्कलन में इसके हटाने का कोई प्रावधान नहीं था। यह बैरक के पूर्ण होने में रूकावट पैदा कर दिया। तदन्तर, जलापूर्ति, शौचालय एवं विद्युतीकरण के साथ सुरक्षा हेतु बुर्ज के निर्माण के अधूरा रहते का.अ. द्वारा बैरकों को कारा विभाग को सौंपने का प्रयास (मार्च 2004) निरर्थक साबित हुआ। इसके फलस्वरूप 1.18 करोड़ रुपये के व्यय के बाद भी संरचना बिना उपयोग के थी।

का.अ. ने कहा (जून 2004) कि पोल को हटाने हेतु विद्युत् परिषद से अनुरोध किया गया था तथा कारा प्राधिकारियों से बैरेकों को अधिग्रहित करने को कहा जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य आरम्भ होने से पहले पोल को हटाना चाहिए था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2004); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2005)।

मानव संसाधन विकास विभाग

4.2.3 उच्चतर वेतनमान की अनधिकृत स्वीकृति के कारण अधिक भुगतान

जि.शि.अ., पश्चिम सिंहभूम द्वारा शिक्षकों को उच्चतर वेतनमान की अनधिकृत स्वीकृति के कारण 29.79 लाख रुपये का अधिक भुगतान।

पूर्ववर्त्ती बिहार सरकार द्वारा दिसम्बर 1984 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार, शिक्षा विभाग (पुर्ननामित मानव संसाधन विकास विभाग) राजकीयकृत मध्य विद्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम नियुक्ति पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षित शिक्षिकों की नामसूची में से 580-860 रुपये के वेतनमान पर मूल प्रविष्टि संवर्ग पर करनी थी जो जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा तैयार की गई तथा उसकी विधिवत स्वीकृति, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (क्षे.शि.उ. नि.) ने दी थी। राजकीयकृत मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की इंटरमीडियट प्रशिक्षित वेतनमान (730-1080 रुपये) के मूल संवर्ग में

प्रोन्नति योग्यता एवं कार्य के संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर इन्हीं मूल संवर्ग शिक्षकों (वेतनमान 580-860 रुपये) में से देनी थी।

जि.शि.अ. सिंहभूम के अभिलेखों (सेवा पुस्तिका/शिक्षकों के नियुक्ति पत्र) की संवीक्षा (फरवरी 2004) से उद्घाटित हुआ कि जि.शि.अ. ने (1985-86) 21 प्रशिक्षित स्नातक/इन्टरमीडियेट प्रशिक्षित शिक्षिकों की नियुक्ति प्रविष्टि संवर्ग वेतनमान 580-860 रुपये (पुनरीक्षित 1200-2040 रुपये) के बदले इंटरमीडियट प्रशिक्षित शिक्षकों के समय वेतनमान 730 से 1080 रुपये (पुनरीक्षित 1200-2040 रुपये) पर कर दी थी। यह अनियमित था क्योंकि इन्टरमीडियेट प्रशिक्षित शिक्षकों को केवल प्रोन्नति पर ही वेतनमान देना था। जि.शि.अ. पश्चिमी सिंहभूम द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से इन शिक्षकों का वेतनमान उनकी नियुक्ति की तिथि से ही उच्चतर वेतनमान 850-1350रुपये (पुनरीक्षित वेतनमान 1640-2900 रुपये) परिवर्तित कर दिया गया था।

वेतन के उच्चतर वेतनमान की अनधिकृत स्वीकृति के फलस्वरूप 15 नवम्बर 2000 से मार्च 2004 के दौरान कुल 29.79 लाख रुपये के वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2005) कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया था और अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही थी। इसके अतिरिक्त इसमें अन्तर्ग्रस्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है।

4.3 सांविदिक दायित्व का उल्लघंन /संवेदकों को अनुचित पक्षपात

ग्रामीण विकास विभाग

4.3.1 सीमेंट की आपूर्ति नहीं होना

अभिकरणों द्वारा 36.84 लाख रुपये के सीमेंट की आपूर्ति नहीं होना तथा अभिकरणों पर बकाये राशि पर 9.62 लाख रुपये के ब्याज की हानि।

तीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों (प्र.वि.प. जयनगर प्र.वि.प. कोडरमा तथा प्र.वि. प., मरकच्चो) के अभिलेखों की संवीक्षा (मई - जून 2004) से उद्घाटित हुआ कि इन्दिरा आवास योजना के कार्य के लिए, और भवन तथा छोटे पुल निर्माण हेतु 2001-02 के दौरान 89282 बोरी सीमेंट खरीदा जाना था।

तत्कालीन उप विकास आयुक्त, कोडरमा द्वारा आयोजित एक बैठक में सीमेंट की खरीदारी पर निर्णय लिया गया (मार्च 2001) जिसमें सर्वश्री शिवा सीमेन्ट फैक्ट्री, राउरकेला को 124 रुपये प्रति बैग की दर पर आपूर्त्ति का आदेश दिया गया। तदनुसार एक अनुबंध का क्रियान्वयन प्र.वि.प., कोडरमा तथा सर्वश्री शिवा सीमेंट फैक्टरी के बीच

हुआ (अप्रैल 2001)। अनुबंध की शर्त्तो के अनुसार आपूर्तिकर्त्ताओं को क्रियान्वयन अभिकरणों (प्र.वि.प. कोडरमा, मरकच्चो और जयनगर) द्वारा शतप्रतिशत अग्रिम भुगतान पर 31 मार्च 2002 तक सीमेंट की आपूर्ति करनी थी तथा आपूर्ति आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर सीमेंट बोरियों को सीधे कार्य-स्थल पर आपूर्ति करनी थी। तथापि, क्रियान्वयन अभिकरणों ने माई 2001 से अगस्त 2001 के दौरान कोई आपूर्ति आदेश नहीं दिया।

इसी बीच, कंपनी के अनुरोध पर, उपायुक्त ने अगस्त 2001 में सीमेंट का मूल्य 124 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 135 रुपये कर दिया और तदनुसार उ.वि.आ. ने क्रियान्वयन अभिकरण को नयी अनुमोदित दर का अनुसरण करने के लिए निदेशित किया। कार्यान्वयन अभिकरणों ने 89282 बोरी सीमेन्ट की आपूर्ति के लिए नयी दर पर (89282 x 135 रुपये = 1.20 करोड़ रुपये) 1.20 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अगस्त 2001 तथा अप्रैल 2002 के बीच किया। अग्रिम भुगतान के विरूद्ध कंपनी ने 83.70 लाख रुपये मूल्य के 61996 सीमेंट की बोरियों की आपूर्ति की। अभिकरणों ने 36.84 लाख रुपये मूल्य की शेष 27286 बोरी सीमेन्ट की आपूर्ति जून 2004 तक नहीं की। 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बकाये अग्रिम पर संगणित करते हुए 9.62 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई जिसके कारण सरकार को 46.46 लाख रुपये की कुल हानि हुई। यह भी देखा गया कि अनुबंध में सींमेट की आपूर्ति नहीं करने पर अर्थदण्ड आरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, सरकार का हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में कि क्यों सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं की गई, प्र.वि.प. ने कहा (मई-जुलाई 2004) कि वे लोग लगातार सीमेन्ट आपूर्ति की माँग कंपनी से करते रहे थे तथा कंपनी में कुछ तकनीकी कारणों से सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं की गई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2004); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2005)।

4.4 परिहार्य/अधिक व्यय

वन एवं पर्यावरण विभाग

4.4.1 परिहार्य व्यय

योजनागत योजनाओं के अंतर्गत मानकों का निर्धारण नहीं होने के कारण 33.77 लाख रुपये का परिहार्य व्यय।

भूमिक्षरण को रोकने तथा भूमि में नमी को बरकरार रखने के लिए कंटूर ट्रेंच का निर्माण, एक महत्वपूर्ण उपाय है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) द्वारा कंटूर ट्रेंच के निर्माण के लिए प्रति दिन मिट्टी कार्य के मानदण्ड के रूप में 85 घनफीट प्रति

मानव दिवस निर्धारित किया गया। पाँच वन प्रमण्डलों[2] के अभिलेखों (अक्टूबर 2003 से जनवरी 2004) की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि भारत आर्थिक विकास कार्यक्रम, भूमि संरक्षण एवं वृक्षारोपण योजना तथा निम्नीकृत वन के पुनर्वास योजना के अंतर्गत इन प्रमण्डलों में वर्ष 2002-03 के दौरान 59.47 लाख रुपये की लागत पर 127350 विभिन्न आकार के कंटूर ट्रेंच का निर्माण कराया गया इन कंटूर के निर्माण में मिट्टी कार्य के 33.80 लाख घनफीट से अंतर्ग्रस्त कुल 92040 मानव दिवस का उपयोग किया गया जो प्रति 36.7 घनफीट मानव दिवस पर संगणित किया गया। प्र.मु.व.सं. द्वारा निर्धारित मिट्टी कार्य के 85 घनफीट प्रति मानव दिवस के मानदण्ड की शर्त्तो के अनुसार 127350 कंटूर ट्रेंच निर्माण में केवल 39766 मानव दिवस का उपयोग होना चाहिए था। इस प्रकार 52274 मानव दिवस का अधिक उपयोग हुआ जो इन कार्यो पर 64.61 रुपये प्रति मानव दिवस की दर से 33.77 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय से अंतर्ग्रस्त था।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर, प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूची दर पर ही कार्य का कार्यान्वयन किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्र.मु.व.सं. द्वारा निर्धारित मिट्टी कार्य प्रति दिन के मानदण्ड को इन मामलों में प्रयोग करना चाहिए था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2004); उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2005) ।

4.5 व्यर्थ निवेश/व्यर्थ स्थापना/निधियों का अवरोधन

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4.5.1 निरर्थक मजदूरी का भुगतान

महिला स्वास्थ्य निरीक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना पर 40.26 लाख रुपये का निरर्थक व्यय

सहायक परिचारिका धात्री (ए.एन.एम.) को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ताकि उनकी पदोन्नति स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के रूप में हो, एक महिला स्वास्थ्य निरीक्षक (एल. एच.भी.) प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना राँची में 1981 में की गई। निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एल.एच.भी. प्रशिक्षण विद्यालय के लिए प्रशिक्षु को प्रतिभू एवं चयन करना था।

[2] चतरा (उत्तरी), डालटेनगंज (दक्षिणी), गढ़वा (उत्तरी),गढ़वा (दक्षिणी) तथा व्याघ्र परियोजना प्रमण्डल, पलामू।

अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2003) तथा सदर अस्पताल राँची से अन्य सूचना एकत्र करने पर उद्घाटित हुआ (अप्रैल 2004) कि मई 1992 से अप्रैल 2004 तक विद्यालय में किसी ए.एन.एम. को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया यद्यपि विद्यालय में प्रत्येक दल में 60 एल.एच.भी. प्रशिक्षण का प्रावधान था। विद्यालय में उपस्थिति पंजी के अनुसार एक अधीक्षक तथा नौ अन्य कर्मचारी थे तथा स्थापना पर नवम्बर 2000 से मार्च 2004 के बीच 40.26 लाख रुपये का व्यय हुआ।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 2003 तथा अप्रैल 2004) अधीक्षक,सदर अस्पताल राँची ने कहा कि सरकार द्वारा अभीष्ट प्रशिक्षण के लिए ए.एन.एम. के नामों का मनोनयन नहीं किया गया। अधीक्षक ने आगे सूचित किया कि यद्यपि उसको इस बारे में अवगत कराया गया, विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की।

इस प्रकार अभीष्ट प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की सूची भेजने में विभाग द्वारा विफल होने के फलस्वरूप नवम्बर 2000 से मार्च 2004 के बीच कर्मचारी के बेकार रहने के कारण स्थापना पर 40.26 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ इसके अतिरिक्त एल.एच.भी. के प्रशिक्षण का उद्देश्य सफल नहीं हुआ, लक्ष्य प्राप्ति भी नहीं हुई।

मामला सरकार को जून 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2005) ।

उद्योग विकास विभाग

4.5.2 व्यर्थ स्थापना पर भुगतान

हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केन्द्र के क्रियाकलाप के अनुश्रवण में विफलता के कारण 1.58 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय

उच्चकोटि के प्रामाणिक एवं परिणाम अभिमुखी शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो सभी मूलभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं से सुसज्जित हो वर्त्तमान 37 हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्रों को आठ प्रशिक्षण केन्द्र[3] में एकीकृत किया गया तथा उसे उद्योग विभाग के सीधे नियत्रंण में रखा गया (सितम्बर 2002) । क्षेत्र के लोगों को हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देने का उद्देश्य यह था कि हस्तशिल्प के विभिन्न व्यवसाय में कुशल शिल्पकार बने। तकनीकी युक्त सुविधा की सहायता से शिल्पकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक वार्षिक सूची तैयार की गई।

हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केन्द्र (ह.सं.वि.के.) हजारीबाग (मई 2004) के अभिलेखों की संवीक्षा तथा तीन केन्द्रों (डाल्टेनगंज, धनबाद और जमशेदपुर) से तदन्तर संग्रहीत सूचना (अगस्त-सितम्बर 2004) से उद्घाटित हुआ कि 2001-02 से कोई

[3] हजारीबाग, डाल्टेनगंज, धनबाद, जमशेदपुर, राँची, खूँटी, दुमका एवं देवघर।

प्रशिक्षण इन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा नहीं प्रदान किया गया यद्यपि 2001-02 से 2003-04 के दौरान स्थापना व्यय पर 1.58 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

इसे बताये जाने पर (मई/अगस्त - सितम्बर 2004) महाप्रबंधक ने स्वीकार किया कि कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किया गया था।

इस प्रकार प्रशिक्षण केन्द्रों के क्रियाकलाप के अनुश्रवण में विभाग द्वारा विफल होने के फलस्वरूप बिना अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के 1.58 करोड़ रुपये का निरर्थक स्थापना व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2004); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (मई 2005)

जल संसाधन विभाग

4.5.3 वेतन एवं भत्ते में निरर्थक व्यय

खरकाई नहर प्रमंडल तथा रूपांकन प्रमंडल सं. 3 आदित्यपुर, जमशेदपुर के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर 5.70 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय।

खरकाई नहर प्रमण्डल,आदित्यपुर,जमशेदपुर

खरकाई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर की स्थापना खरकाई नहर (मुख्य) के दायें एवं बायें मुख्य नहर के निर्माण और रख रखाव के लिए जुलाई 1984 में की गई, और गाजिया वराज के निर्माण कार्य के बाद इसकी जल वितरिकायें समाप्त हो गयी थी तथा गाजिया बराज निर्माण हेतु स्थापित प्रमण्डल मृतप्राय हो गया था। अन्य प्रमंडल, खरकाई नहर प्रमंडल, गाजिया भी मृतपाय हो गया था तथा केवल अभिलेखों एवं सामग्रियों का प्रभार खरकाई नगर प्रमंडल, आदित्यपुर को मार्च 1997 में सौंपा गया।

खरकाई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर जमशेदपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 2003) कि 1990 से ही प्रमंडल द्वारा पुरानी सुवर्णरेखा कॉलोनी के रख-रखाव के अतिरिक्त, कोई कार्य दिया/लिया नहीं गया, जिसके लिए 2003-04 में 19.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जिसमें से वर्ष के दौरान केवल 4.89 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

इस प्रकार प्रमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता सहित दो एस.डी.ओ., 43 अन्य सहायक कर्मचारी तथा आठ वर्क चार्ज चालक बेकार रहे जिसके फलस्वरूप 15 नवम्बर 2000 से सितम्बर 2004 तक उनके वेतन एवं भत्ते पर 2.83 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को दूसरे प्रमण्डल या अन्यत्र भेजकर उसके लाभकारी उपयोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2003) ,कार्यपालक अभियंता ने कहा (दिसम्बर 2003) कि प्रमंडल को 1990 से कोई आबंटन नहीं प्राप्त हुआ है।

रूपांकन प्रमंडल सं. 3, आदित्यपुर, जमशेदपुर

रूपांकन प्रमंडल सं. 3 आदित्यपुर, जमशेदपुर की सुवर्ण रेखा बहद्देश्यीय परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी प्रमंडलों के लिए रूपांकन एवं प्रारूप तैयार करने हेतु नवम्बर 1985 में स्थापना हुई।

प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2003) से उद्घाटित हुआ कि 1994 से प्रमंडल को प्रारूप का कोई कार्य नहीं दिया गया। इस प्रकार इस प्रमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता सहित छः सहायक अभियंता, 10 कनीय अभियंता तथा 45 अन्य सहायक कर्मचारी बेकार रहे, जिसके फलस्वरूप 15 नवम्बर 2000 से सितम्बर 2004 तक उनके वेतन एवं भत्ते पर 2.87 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को दूसरे प्रमण्डल या अन्यत्र भेजकर उसे लाभकारी उपयोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर (नवम्बर 2003) कार्यपालक अभियंता ने कहा (नवम्बर 2003) कि वर्ष 2003-04 के दौरान प्रमंडल को छः प्रारूप का कार्य दिया गया तथा 2004-05 के वार्षिक कार्यक्रम की अनुमति के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि 62 कर्मचारियों की क्षमता के लिए यह कार्य नगण्य था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर (जुलाई 2004) यह कहा गया (अगस्त 2004) कि निधि की अनुपलब्धता के कारण सुवर्णरेखा परियोजना का कार्य 1990 से पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया था। झारख्ण्ड राज्य बनने के बाद, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तथा अनुमोदन के बाद प्रमंडल का कार्य लिया गया। तथापि यह देखा गया कि दोनों प्रमंडल निष्क्रिय थे तथा सितम्बर 2004 तक कार्य हेतु कोई निधि प्रदान नहीं की गयी थी।

पशुपालन विभाग

4.5.4 निरर्थक व्यय

- **बेकन फैक्ट्री का पुनरूद्धार नहीं होने के कारण स्थापना पर 1.56 करोड़ रुपये,**
- **फ्रोजेन सीमेन बैंक होटवार के निष्क्रिय रहने के कारण बेकार कर्मचारियों पर 1.25 करोड़ रुपये तथा**
- **घास उत्पादन फार्म के निष्क्रिय रहने के कारण बेकार कर्मचारियों पर 44.77 लाख रुपये**

शूकर प्रजनन फारम सह बेकन फैक्ट्री, राँची

बिहार सरकार ने दिसम्बर 1964 में एक शूकर प्रजनन फार्म कम बेकन फैक्ट्री की स्वीकृति दी जिसकी, किसानों को शूकर विपणन सुविधा प्रदान करने विशेषकर छोटानागपुर क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के लिए, फरवरी 1972 में स्थापना हुई। फैक्ट्री दिसम्बर 1996से, निधि के अभाव में तथा पुराने एवं घिसा पिटा मशीन होने के कारण निष्क्रिय हो गयी।

महाप्रबन्धक, बेकन फैक्टरी के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2004) से उद्घाटित हुआ कि फैक्ट्री को पुनः स्थापित करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन (84.40 लाख रुपये) बिहार सरकार को अगस्त 1999 में तथा पशुपालन विभाग झारखण्ड सरकार को अप्रैल 2001 में प्रस्तुत किया गया। लेकिन फैक्ट्री की पुनः स्थापना, निधि की कमी के कारण, जून 2004 तक नहीं की जा सकी। इसके फलस्वरूप पुराने उपकरण/मशीन की न मरम्मत हुई/बदला जा सका तथा फैक्ट्री निष्क्रिय हो गयी। फैक्ट्री के कर्मचारियों को,फिर भी, बिना कार्य के लगातार वेतन का भुगतान होता रहा।

इसके फलस्वरूप नवम्बर 2000 से जून 2004 तक फैक्ट्री की स्थापना पर 1.56 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2004); महाप्रबन्धक, बेकन फैक्ट्री ने स्वीकार किया कि दिसम्बर 1996 से कोई उत्पादन या विपणन गतिविधियाँ नहीं थीं।

फ्रोजन सीमेन बैंक (एफ. एस. बी.) होटवार, राँची

वीर्य संग्रहण तथा सीमेन स्ट्रा के उत्पादन के लिए एक फ्रोजेन सीमेन बैंक (एफ.एस.बी.) की स्थापना (100 साँढ़ स्वीकृत बल के साथ) होटवार, राँची में 1979-80 में हुई।

क्षेत्रीय निदेशक (क्षे.नि.) पशुपालन दक्षिण छोटानागपुर, राँची के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2004) से उद्घाटित हुआ कि कोई साँढ़ वीर्य संग्रहण के लिए 2000-2004 के दौरान उपलब्ध नहीं था यद्यपि (एफ.एस.बी.) होटवार के पास उक्त अवधि में दो कृत्रिम गर्भाधान पदाधिकारी, पाँच तकनीशियन, दो मैकेनिक, 12 साँढ़ परिचारक तथा 16 अन्य कर्मचारी थे।

एफ.एस.बी. होटवार में पदस्थापित सभी कर्मचारी बिना काम के थे तथा 2000-2004 के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते पर 1.25 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। यह भी देखा गया कि अक्टूबर 1995 से विद्युत विपत्र के भुगतान न करने के कारण एफ.एस.बी. की विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी गई थी। इससे साबित होता है कि एफ.एस.बी. बिल्कुल ही कार्यरत नहीं था।

इसे बताये जाने (जुलाई 2004) क्षे.नि. (प.पदा.) राँची ने कहा कि मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (2001) तथा चालू वर्ष में एफ.एस.बी. के पुनरूद्धार होने की संभावना है। उत्तर तकर्संगत नहीं था क्योंकि एफ.एस.बी. में विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल करने के लिए सरकार को आगे प्रतिवेदित नहीं किया गया। इस प्रकार,सरकार की उदासीनता के कारण एफ.एस.बी. को पुनः चालू नहीं किया जा सका। जिसके फलस्वरूप कर्मचारी के भुगतान पर 1.25 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय होने के अलावा पशुओं के नियमित गर्भाधान के लाभ तथा अच्छे नस्ल की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

घास उत्पादन फार्म (बड़वाडीह, कुनानडीह, राजहारा तथा राजनगर)

तत्कालीन पूर्ववर्त्ती बिहार सरकार के चारा विकास योजना के अधीन अच्छे चारा/सूखी घास के उत्पादन के लिए दक्षिण छोटानागपुर पशुपालन क्षेत्र में चार (बड़वाडीह कुनानडीह, राजहारा तथा राजनगर) सूखी घास उत्पादन फार्म की स्थापना की तथा इन फार्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए 16 कर्मचारी रखे गये।

क्षेत्रीय निदेशक, (क्षे.नि.) पशुपालन, (प.पा.) दक्षिण छोटानागपुर, राँची तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी, चाईबासा के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इन फार्मो को सूखी घास के बीज की आपूर्ति 1999-2004 के दौरान नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप इन फार्मो में कोई चारा/सूखी घास का उत्पादन नहीं हुआ तथा बिना कार्य के 2000-04 के बीच कर्मचारी को 44.77 लाख रुपये का भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर में क्षे.नि. (प.पा.) राँची तथा जि.प.पा.प., चाईबासा द्वारा यह कहा गया (जुलाई 2004) कि निधि की कमी के कारण कार्य अवरूद्ध हुआ तथा फार्म का कार्य शुरू करने के लिए विभागीय कायर्वाही की जायगी। उत्तर पुष्टि करता है कि इन फार्मो को चालू करने के लिए पाँच वर्षों (2000-04) तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई या कर्मचारी को अन्यत्र आत्मसात या प्रतिनियुक्त नहीं किया गया।

उपर्युक्त मुद्दों को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून से अगस्त 2004 के बीच); उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2005)।

गृह विभाग एवं भवन निर्माण विभाग

4.5.5 कारागार के निर्माण पर निरर्थक व्यय

बिरसा मुण्डा कारागार, होटवार के निर्माण पर 20.42 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय

सरकार ने बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा राँची में भीड़-भाड़ कम करने हेतु होटवार में नयी केन्द्रीय कारा निर्माण का निर्णय लिया और इस उद्देश्य के लिए मेकॉन (सितम्बर 2001) को परामर्शदाता के रूप में रखा। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण प्रमण्डल न. 1 राँची एवं मेकन के बीच एक अनुबंध (फरवरी 2002) हुआ जिसमें आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों, विद्युतीकरण, पेयजल तथा स्वच्छता सहित पूरी योजना हेतु प्राक्कलन राशि को तैयार करना था। मेकन के द्वारा दिसम्बर 2001 में 16.89 करोड़ रुपये का मात्रा विपत्र केवल कारा भवन के लिए और अन्य घटकों यथा आवासीय भवन, विद्युतीकरण आदि के लिए नहीं प्रस्तुत किया गया। गृह विभाग द्वारा दिसम्बर 2001 में 20.61 करोड़ रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा मुख्य अभियंता भ.नि.वि. द्वारा अगस्त 2002 में 22.02 करोड़ रुपये के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यादेश निम्नतम निविदादाता को दिया गया और उसे 20.42 करोड़ रुपये की लागत से सिमम्बर 2003 तक पूरा करना था।

कारागार भवनों को उपयोग में लाने के लिए, मुख्य अभियंता ने आवासीय भवनों, पेयजल तथा स्वच्छता आदि के लिए 11.54 करोड़ रुपये के आकलन की स्वीकृति प्रदान की। कार्य के इस भाग के लिए नवम्बर 2003 में निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु जून 2004 तक कार्यादेश को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

गृह विभाग की ओर से यह स्पष्ट विफलता थी कि उसने मेकॉन को आरम्भ में ही कार्य के सभी घटकों (आवासीय के साथ-साथ गैर आवासीय भवनों, जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युतीकरण, पहुँच पथ आदि) के लिए पूरा प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु दबाव नहीं डाला। मेकॉन द्वारा दिये गये कारागार भवन के लिए केवल मात्रा के विपत्र को स्वीकार करने तथा अन्य घटकों के लिए बिना किसी योजना और प्राक्कलन के कार्यादेश देने के परिणामस्वरूप नये केन्द्रीय कारागार के पूर्ण होने और उपयोग में लाने में विलम्ब हुआ। सितम्बर 2003 में 20.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कारागार भवन अभी तक व्यर्थ पड़ा था। इस भारी लागत के व्यर्थ पड़े रहने के अतिरिक्त, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारागार, राँची में भी भीड़-भाड़ की समस्या का निराकरण नहीं हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2004); उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2005)।

4.6 अन्य बिन्दु

ग्रामीण विकास विभाग

4.6.1 जिला योजना निधि का विचलन

सामुदायिक स्थायी संपत्ति के निर्माण हेतु निधियों का विकास भवन के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु विचलन- 28.10 लाख रुपये

जिला योजना के विहित दिशानिर्देशों के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत निधियों का खर्च/उपयोग ग्रामिण सड़कों, विद्यालय भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गाँवों की पेयजल आपूर्ति के लिये किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक योजना पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक ही खर्च किया जाना है।

परियोजना पदाधिकारी, मेसो, जामताड़ा के अभिलेखों की समीक्षा (दिसम्बर 2003) से उद्घाटित हुआ कि जिला योजना निधि के 28.10 लाख रुपये का उपयोग विकास भवन के निर्माण, इसको सुसज्जित करने, जामताड़ा समाहरणालय परिसर और पी.सी.सी. पथ के निर्माण हेतु वर्ष 2001 से 2003 के दौरान किया गया जो जिला योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

इसे बताये जाने पर परियोजना पदाधिकारी, मेसो, जामताड़ा ने कहा (दिसम्बर 2003) कि सभी कार्य तत्कालीन उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश द्वारा कार्यान्वित किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 28.10 लाख रुपये राशि का खर्च किया जाना जिला योजना के प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2004) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। (मई 2005) ।